27

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दि. 11-1-12 को प्रकरण क्र. /12 रिव्यू Review-57-III/2012

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मृत श्रीमती रामकली पत्नी स्व. श्री रामवतार नामदेव
निवासी– मीराबाई धर्मशाला के पास वार्ड क्र. 14
मैहर, तहसील मैहर, जिला सतना म.प्र.
.... आवेदिका

आदेश दिनांक 5/7/2016

विरूद्ध

रामगोपाल नामदेव पुत्र स्व. श्री राममिलन नामदेव
निवासी– मीराबाई धर्मशाला के पास वार्ड क्र. 14
मैहर, तहसील मैहर, जिला सतना म.प्र.
.... अनावेदक

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश माननीय श्री अजीत केसरी सदस्य के न्यायालय में प्रकरण क्र. 1592–चार/2008 मे पारित आदेश दिनाक 14.10.2011

माननीय महोदय,

आवेदिका का रिव्यू निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, निर्णय के पैरा 4, में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह विधि की मंशा के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है।
3. यहकि, रिकोर्ड का अवलोकन करते तो दिनांक 09.09.11 को प्रकरण आदेशार्थ दिनांक 12.10.11 के लिए था। किन्तु दिनांक 12.10.11 को सर्वप्रथम न्यायालय के रीडर श्री जौहरी को लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये थे आदेश पत्रिका दिनांक 12.10.11 का अवलोकन करें जबकि निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.11 को पारित किया है, निर्णय के पूर्व तर्क रिकोर्ड पर उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में लिखित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 57–तीन/12 जिला –सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-17	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1592–चार/08 में पारित आदेश दिनांक 14.10.11 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु रिव्यु 57–तीन/12 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1592–चार/08 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.10.11 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 57–तीन/12 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो	

उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य